

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/(कारपोरेट सर्किल)/(वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

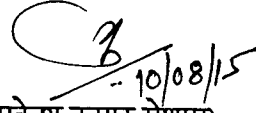
आप अवगत है कि विभागीय व्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर में अधिकारियों / कर्मचारियों को Additional Role प्रदान करने का कार्य मुख्यालय स्तर से प्रदान किया जाता है। इस कार्य में पत्राचार होने तथा मुख्यालय पर कार्य आधिक्य के कारण विलम्ब होने से कार्य बाधित होता है। अतः कर्मचारियों को Additional Role प्रदान करने की सुविधा Local Administrator के स्तर पर की जाती है।

इस सम्बन्ध में Additional User Creation के लिए User Form का प्रारूप निम्नवत होगा :-

- 1- नाम व इम्प्लॉई आई0डी0
- 2- पदनाम
- 3- अतिरिक्त कार्य का विवरण
- 4- मूल तैनाती से सम्बन्धित कार्य
- 5- मोबाईल नम्बर
- 6- ई-मेल
- 7- अग्रसारित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, व हस्ताक्षर (ज्वा0कमिश्नर (कार्य0) / वि0अनु0शा0)/
टैक्स आडिट/ कारपोरेट)

Security की दृष्टि से उक्त प्रारूप पर data Local Administrator को उपलब्ध कराया जायेगा जिसके सम्बन्ध में Local Administrator द्वारा पत्रावली पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/ज्वाइन्ट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) अथवा ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) की लिखित सहमति प्राप्त करते हुए Additional Role प्रदान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी अनुपयोगी Users लोकेशन में उपलब्ध हैं उनको Local Administrator के द्वारा delete कर दिया जाये जिससे उन User ID का दुरुपयोग न किया जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।


(मुकेश कुमार मिश्रा)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।